सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– श्री बाबूलाल जाट, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 2019/105 दायर दिनांक 02.04.2019

वादीगण		प्रतिवादी
1. मनभरी पुत्री सीताराम, 2. सोहनी देवी पुत्री सीताराम, समस्त जाति माली, निवासीगण सिघी बास, डीडवाना, तहसील डीडवाना, जिला नागौर, राजस्थान	बनाम	1. तहसीलदार, डीडवाना

दावा बाबत 136 लेण्ड रेवन्यू एक्ट

उपस्थित :–

1. हीरसिंह बलारा, अधिवक्ता व रणजीत बलारा अधिवक्ता वादीनीगण की और से।

–:: निर्णय ::–

दिनांक **12.07.2019**

वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीनीगण प्रतिवादी नम्बर 01 भंवरी देवी की जायन्दा पुत्रियां है, तथा प्रतिवादी नम्बर 02 ता 04 वादीनीगण के सगे भाई है, जो सभी स्वर्गीय सीताराम की पुत्रियां और पुत्रगण है, जो एक ही परिवार के है तथा खेत खसरा संख्या 2265 रकबा 9. 09 बीघा, खसरा संख्या 2290 रकबा 0.13 बीघा कुल 10.02 बीघा, वाके सरहद डीडवाना की वर्तमान में खातेदारी प्रतिवादी नम्बर 01 ता 04 के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। वादीनीगण व प्रतिवादीगण प्रत्येक का उक्त खेतो में प्रत्येक का 1/6–1/6 6 हिंस्सा कानूनन होता है और इसी मुताबिक पक्षकारान अपने अपने बंट व कब्जा काश्त के हिंस्सो पर काश्त करते करवाते आये है। लेकिन उक्त खेतो की खातेदारी में वादीगण की खातेदारी दर्ज नहीं होने से वादीनीगण के जायज अधिकार खतरे में पड़ गये है। वादीनीगण प्रतिवादीगण के साथ उक्त खेतो की खातेदारी में अपने नामो की घोषणा करवाना चाहती है, जिसकी यह दोनो कानूनन हकदार है। वादीनीगण अपने बंट, कब्जा काश्त, हक हिंस्से व खातेदारी के खेतो में

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

1/6–1/6 हिंस्से पर प्रतिवादीगण द्वारा किसी प्रकार की दखल नहीं करने बाबत उनके खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करना चाहती है, जिसकी यह जायज अधिकारी है, तथा उक्त भूमि पैतृक है। वादीनीगण समय समय पर अपने बंट व हक हिंस्से के खेतो पर काश्त करती करवाती रही है तथा समय समय पर सार संभाल करती रही है। लेकिन प्रतिवादी नम्बर 02 ता 04 की नियत में खोट आ गया है और वे वादीनी के नाम से राजस्व रेकर्ड में खातेदारी नहीं होने का फायदा उठाकर उन्हे बेदखल करने की फिराक में है तथा इनके हिंस्से की भूमि अन्य को बेचने की फिराक में है। जिसका की उनको कोई हक अधिकार नहीं है। क्योंकि वादीनीगण प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 04 की सगी बहने है और कानूनन भाई व बहिन का बराबर हक लगता है। तथा वादीनीगण का अपने अपने हिंस्से के खेतो पर कब्जा काश्त वर्षो से अबाध रूप से चलता आया है।

वादीनीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया, प्रतिवादीगण को वास्ते जवाब देही न्यायालय में हाजिर होने बाबत् जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 ता 04 बावजूद तामिलगी के न्यायालय में हाजिर नहीं होने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने का आदेश पारित किया गया।

वादीनीगण ने मौखिक साक्ष्य में आदेश 18 नियम 4 सी0 पी0 सी0 का शपथ पत्र पी डब्ल्यू –1 व पी डब्ल्यू –2 पेश किये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में वादी ने खतोनी की नकल प्रदर्श –1 है, खतौनी की नकल प्रदर्श –2 है, ट्रैस नक्शा प्रदर्श –3 पेश किये।

बहस सुनी गयी। वकील वादीगण ने अपनी बहस में अपने वाद में वर्णित तथ्यों को दोहराया। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन किया।

वादीनीगण वाद को डिक्री किये जाने की इस्तदुआ कर रहे है।

अतः तर्को पर मनन करने, रेकर्ड के अवलोकनोपरान्त तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में वादीनीगण का वाद डिक्री सादिर किया जाना उचित प्रतित होता है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

–:: आदेश ::–

हस्व दावा डिक्री सादिर कर वाके सरहद डीडवाना में स्थित खेत खसरा संख्या 2265 रकबा 9.09 बीघा व खसरा संख्या 2290 रकबा 0.13 बीघा में प्रतिवादी संख्या 01 ता 04 के साथ वादीनीगण मनभरी व सोहनी को सह खातेदार घोषित किया जाता है, इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो, तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

(बाबूलाल जाट)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक 12.07.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बाबूलाल जाट)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री बाबुलाल जाट, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **105/2019** दायर दिनाँक **02.04.2019**

वादीगण		प्रतिवादी
1. मनभरी पुत्री सीताराम, 2. सोहनी देवी पुत्री सीताराम, समस्त जाति माली, निवासीगण सिघी बास, डीडवाना, तहसील डीडवाना, जिला नागौर, राजस्थान	बनाम	1. तहसीलदार, डीडवाना

दावा बाबत 136 लेण्ड रेवन्यू एक्ट

दिनाँक **12.07.2019**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री हीरसिंह बलारा व रणजीत बलारा, वकील, वादीगण की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, वाके सरहद डीडवाना में स्थित खेत खसरा संख्या 2265 रकबा 9.09 बीघा व खसरा संख्या 2290 रकबा 0.13 बीघा में प्रतिवादी संख्या 01 ता 04 के साथ वादीनीगण मनभरी व सोहनी को सह खातेदार घोषित किया जाता है, इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो, तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–.............. बाबत.....................–................
....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **12.07.2019** को सरे इजलास में जारी की गयी।

(बाबूलाल जाट)
सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	– –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

(बाबूलाल जाट)
सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner